उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड

निर्यात भवन, भू-तल, 8 **कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ** 226001

वेबसाइट: http://www.uphdmc.in **ई-मेल** : uphdmco@gmail.com

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यकर्मों के संचालन हेतु सुविधादाताओं/सेवाप्रदाता/प्रशिक्षकों के के इम्पैनलमेंट हेतु अभिरुचि ज्ञापन का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड

निर्यात भवन, भू-तल, 8 **कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ** 226001

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

उत्तर प्रदेश सरकर की महत्वाकांक्षी योजना विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश के 10 जनपदों में जनपद स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (UPHDMC), लखनऊ को नामित किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा किया जाता है। चयनित लाभार्थियों का विवरण उपायुक्त उद्योग द्वारा आनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु नामित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षणदायी संस्थाओं द्वारा **25–25** लाभार्थियों के समूह बनाकर उन्हें सम्बन्धित ट्रेड का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण पूर्णतया आवासीय है तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के भोजन एवं प्रवास की व्यवस्था प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा की जाती है। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को आर०पी०एल० प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित ट्रेड की सेक्टर स्किल कौंसिल द्वारा एक परीक्षा ली जाती है परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत टूल किट एवं मानदेय दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रशिक्षण से संबंधित प्रमुख विवरण निम्नवत हैः-

1. आयोजक :- प्रबंध निदेशक, UPHDMC, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. कार्यदायी संस्था:- उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, लखनऊ,निर्यात भवन, भू-तल, 8-कैण्ट रोड, केसरबाग, लखनऊ।
3. कार्यक्रम अवधि:- दिनांक 01 अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024 तक।
   (विशेष परिस्थितियों में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यक्रम के शेड्यूल में परिवर्तन किया जा सकता है)

उक्त कार्यक्रम को सुचारू रूप से सफलतापूर्वक संचालित किये जाने हेतु सुविधादाताओं/ सेवाप्रदाताओं/ प्रशिक्षकों का इम्पैनलमेंट/ चयन किये जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे हैं। इच्छुक संस्थाए / फर्म्स/ अभिरूचि ज्ञापन के माध्यम से अपने प्रस्ताव दिनांक **31.07.2024** को सायंकाल **5.00** बजे निगम के मुख्यालय निर्यात भवन, भू-तल, **8** कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ 226001 में जमा किये जा सकते हैं।

UPHDMC

प्रस्ताव के अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले क्रियाकलापों का विवरण

(स्कोप ऑफ वर्क)

उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद स्तर पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित कराये जाने हेतु सुविधादाताओं/ सेवाप्रदाताओं/ प्रशिक्षकों का इम्पैनलमेंट किया जाना है | विवरण निम्नवत है-

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भोजन एवं प्रवास कि सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सेवाप्रदाताओं का इम्पैनलमेंट |
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित कराये जाने हेतु सभी आधुनिक यथा - हवादार क्लासरूम, फर्नीचर, प्रोजेक्टर/डिस्प्ले, व्हाइटबोर्ड, विद्युत आपूर्ति एवं पॉवर बैकअप से युक्त प्रशिक्षण स्थल, हलवाई ट्रेड के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक टूल्स, औजार, बर्तन आदि से युक्त सुसज्जित स्थायी / अस्थायी किचन की सुविधा तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु सुविधादाताओं का इम्पैनलमेंट |
3. सेक्टर स्किल कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त/प्रमाणित ट्रेनर्स/प्रशिक्षकों (**TOT)** का इम्पैनलमेंट |

उपरोक्त उपरोकतानुसार सेवप्रदाताओं/ सुविधादाताओं/ प्रशिक्षकों के इम्पैनलमेंट/ चयन का विशेषाधिकार प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, लखनऊ में निहित होगा तथा इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए निरस्त / स्थगित किया जा सकता है।

UPHDMC

अभिरूचि की अभिव्यक्ति करने वाली संस्था/ फर्म की अर्हता तथा अन्य नियम एवं शर्तें

स्कोप ऑफ वर्क के बिन्दु संख्या 01 में वर्णित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भोजन एवं प्रवास कि सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सेवाप्रदाताओं तथा स्कोप ऑफ वर्क के बिन्दु संख्या 02 में वर्णित आवश्यक संसाधनों से युक्त प्रशिक्षण स्थल से सम्बन्धित सुविधा प्रदाताओं के इम्पैनलमेंट हेतु प्रस्तावक संस्था की अर्हता/ योग्यता/ दक्षता के मापदण्ड :-

1. फर्म का केन्द्र / राज्य सरकार के किसी भी अधिनियम यथा कम्पनी अधिनियम 2013 सोसाइटी एक्ट 1956 एमएसएमईडी एक्ट 2006 अथवा किसी अन्य विधिमान्य संस्था / संगठन के अन्तर्गत पंजीकृत इकाई होना अनिवार्य है।
2. इच्छुक फर्म के पास वैध (Valid) आयकर पंजीयन होना चाहिए।
3. इच्छुक फर्म जी0एस0टी0 में पंजीकृत होनी चाहिए।
4. प्रशिक्षणार्थियों को भोजन एवं प्रवास कि सुविधा उपलब्ध कराने की इच्छुक फर्म के पास वैध एफएसएसएआई लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
5. निविदादाता इकाई के पास 03 वर्ष का सरकारी विभागों / अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में समान कार्यों को निरंतर सफलतापूर्वक सम्पादन का अनुभव होना चाहिए।
6. फर्म का विगत 03 वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम रू0 50 लाख होना चाहिए
7. अभिरुचिदाता की फर्म का कार्यालय उत्तर प्रदेश में होना अनिवार्य है। इसकी पुष्टि हेतु विधिमान्य साक्ष्य (UPHDMC) कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
8. अभिरुचिदाता द्वारा अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई०ओ०आई०) आमंत्रण में दी गयी सभी शर्तों का समग्रता एवं निष्ठा से पालन किये जाने विषयक रू0 100 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर संलग्न प्रारूप पर इस आशय का एक नोटराइज्ड शपथ पत्र (प्रारूप-संलग्नक 1) उपलब्ध कराया जायेगा कि उसको या उसकी फर्म को :-
    - कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
    - कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है
    - किसी आपराधिक मामले में कभी सिद्ध दोष घोषित नही किया गया है
9. उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा कार्यक्रम के शेडयूल्स में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।
10. अभिरुचिदाता को अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई०ओ०आई०) आमंत्रण की शर्तों के अनुरुप संलग्नक-3 समस्त अभिलेख अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई०ओ०आई०) प्रस्ताव के साथ संलग्न करने होंगे। अभिरुचिदाता को सलाह दी जाती है कि वे अभिलेखों को संलग्न करते

UPHDMC

समय उनका परीक्षण कर लें। अपठनीय तथा अपूर्ण अभिलेख पाये जाने पर प्रस्ताव के सम्बन्ध मे समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। वांछित प्रपत्र उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में प्रस्ताव अमान्य किया जा सकता है।

11. अभिरुचिदाता द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रपत्रों की आवश्यक होने पर जारीकर्ता अधिकारी/ कार्यालय से पुष्टि करायी जा सकती है। किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में प्रस्ताव अमान्य होगा।
12. सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा।
13. अभिरूचिदाता द्वारा किसी भी प्रकार का भ्रष्ट व्यवहार, तथ्यों का छिपाया जाना एवं गलत प्रकार से प्रस्तुतीकरण, किसी भी प्रकार का प्रलोभन आपत्तिजनक व्यवहार जो कि पारदर्शिता को प्रभावित करें, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाना चाहिए।
14. यदि आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा भविष्य की अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ई०ओ०आई०) आमंत्रण प्रस्ताव में प्रतिभाग करने से निलम्बन, ब्लैक लिस्ट, दण्डात्मक शुल्क आदि की कार्यवाही की जा सकती है ।
15. अनुबन्धित फर्म अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के किसी प्रतिष्ठान/अभिकरण/संस्था के द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दी जाती है तो ऐसी दशा में अनुबंधित फर्म द्वारा 15 कार्य-दिवस के भीतर इसकी लिखित सूचना उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, लखनऊ कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके क्रम में विभाग द्वारा गुण-अवगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।
16. किसी भी प्रकार की सूचना असत्य पाये जाने पर इम्पैनलमेंट निरस्त कर दिया जायेगा।
17. न्यायिक क्षेत्र निविदादाता एंव उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, लखनऊ के मध्य विवाद की स्थिति में उसका न्याय क्षेत्र लखनऊ (उ.प्र.) ही होगा ।
18. अनुबंध की शर्तों का अनुपालन न करने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, लखनऊ को होगा ।
19. प्रशिक्षक के पद पर इम्पैनलमेंट हेतु इच्छुक व्यक्तियों के पास निम्नलिखित अर्हताएं / अनुभव होना चाहिए :-
    - सेक्टर स्किल कौंसिल द्वारा निर्गत हलवााई ट्रेड के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

- प्रशिक्षक हेतु इम्पैनलमेंट हेतु इच्छुक व्यक्तियों के पास किसी सरकारी / अर्ध्द सरकारी संस्था द्वारा हलवाई ट्रेड से सम्बन्धित 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

20. अभिरुचि ज्ञापन / प्रस्ताव / आवेदन पत्र के साथ संलग्नक 4 मे उल्लिखित अभिलेखों / दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन / प्रस्ताव पत्र मे किए गए दावों की पुष्टि हेतु उकतानुसार अभिलेख संलग्न न पाए जाने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।
21. सेवाप्रदाता / सुविधादाता/ प्रशिक्षक के रूप में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्न विवरण के अनुसार आवेदन शुल्क के रूप में जमा की गई धनराशि के साक्ष्य जमा करना अनिवार्य होगा -
    - क- भोजन एवं प्रवास की व्यवस्था हेतु सेवप्रदाता के रूप में इम्पैनलमेंट हेतु धनराशि रू0 1000/- (एक हजार मात्र)।
    - ख- प्रशिक्षण स्थल की व्यवस्था हेतु सुविधादाता के रूप में इम्पैनलमेंट हेतु धनराशि रू0 1000/- (एक हजार मात्र)।
    - ग- प्रशिक्षक के रूप में इम्पैनलमेंट हेतु धनराशि रू0 500/- (पांच सौ मात्र)
22. आवेदन शुल्क के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि का भुगतान Uttar Pradesh Handicrafts Development and Marketing Corporation Limited के पक्ष में लखनऊ में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा निम्नानुसार अंकित बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से किया जा सकता है।

बैंक खाता सं0	- 015102000008761
आई0एफ0एस0सी0	- IBKL0000015
बैंक का नाम	- IDBI BANK
शाखा	-JAHANGIRABAD PALACE, RANI LAXAMI BAI MARG, HAZARTGANJ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH

UPHDMC

संलग्नक-1

शपथ पत्र

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड,
निर्यात भवन, भू-तल, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग,
लखनऊ।

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी.................................... ....अधिकृत हस्ताक्षरी मै0...आपके संस्थान द्वारा ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स की सेवा हेतु प्रकाशित अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई०ओ०आई०) आमंत्रण संख्या............. दिनांक........................ हेतु अपना आवेदन पत्र निम्न शर्तों का पूर्ण अनुपालन किए जाने की प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. मैं यह घोषणा करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई०ओ०आई०) प्रपत्र तथा अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई०ओ०आई०) की सभी शर्तों को ठीक से पढ़ व समझ लिया है और मै उनसे सहमत हूँ |
2. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के तथ्यों को छुपाया अथवा गलत प्रकार से प्रस्तुतीकरण नही किया गया है।
3. चयन होने की स्थिति में निर्धारित मानकों एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण न करने की दशा में प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लिया गया निर्णय मुझे स्वीकार्य होगा तथा हुई राजकीय क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु यह संस्था सहमत है |
4. मेरी फर्म को किसी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के किसी प्रतिष्ठान/अभिकरण के द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
5. मुझे/मेरी फर्म को कभी भी दिवालिया घोषित नही किया गया है।
6. मुझे/मेरी फर्म को किसी आपराधिक मामले में सिद्ध दोष घोषित नही किया गया है।

भवदीय,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम एवं पदनाम व संस्था/फर्म का मुहर

UPHDMC

संलग्नक-2

<u>सेवाप्रदाता / सुविधादाता/ प्रशिक्षक के रूप में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन पत्र</u>

1. गतिविधि जिसके लिए इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन किया जा रहा है :-
   क. ....
   ख. ....
   ग. ....
2. फर्म का नाम : ....
3. प्रोपराइटर/निदेशक/पार्टनर का नाम : ....
4. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :..
5. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पद नाम ....
6. फर्म की विधिक स्थिति (प्रोपराइटरशिप/ पार्टनरशिप/ Companies Act, 2013/ सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1956) के अंतर्गत पंजीयन की स्थिति:.....................
   ....
7. पूरा पता : ....
   ....
8. दूरभाष : ....मोबाइल ....
9. ईमेल : ....
10. आयकर पंजीकरण संख्या : ....
11. जी एस टी एन पंजीयन : ....
12. उद्‌यम पंजीयन प्रमाण पत्र URC संख्या: ....
13. स्थापना वर्ष : ....
14. वार्षिक टर्न ओवर वर्ष 2021-22 ....
    वर्ष 2022-23 ....
    वर्ष 2023-24 ....
15. संस्था का अनुभव -
    a.
    b.
    c.
    d.
16. आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न की जा रही धनराशि का विवरण :-
    क. धनराशि रू0 ....
    ख. डिमाण्ड ड्राफ्ट / यूटीआर सं0 एवं दिनांक...
    ग. निगर्त करने वाली बैंक शाखा का नाम :...

भवदीय,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संस्था/फर्म का नाम एवं पदनाम व मुहर।

UPHDMC

संलग्नक-3

प्रशिक्षक के पद पर इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन पत्र

1. ट्रेड / व्यवसाय जिसके प्रशिक्षण हेतु आवेदन किया जा रहा है-..........................
2. प्रशिक्षक का पूरा नाम : ....
3. पिता का नाम : ....
4. लिंग : ....
5. जन्म तिथि : ....
6. शैक्षिक योग्यता : ....
7. तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता : ....
8. सेक्टर स्किल कौंसिल द्वारा निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का विवरण :-
   क. प्रमाण पत्र की संख्या एवं दिनांक : ....
   ख. व्यवसाय :...
   ग. प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली सेक्टर स्किल कौंसिल का नाम :- ....
   ....
9. अन्य योग्यता (यदि कोई हो) :...
10. अनुभव : ....
    ....
11. वर्तमान पता : ....
    ....
12. स्थायी पता : ....
    ....
13. राष्ट्रीयता :..
14. आधार नम्बर: ....
15. पैन नम्बर: ....
16. मोबाइल नम्बर:...
17. ईमेल : ....

आवेदक का फोटो

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम एवं पता

UPHDMC

संलग्नक-4

<u>सेवाप्रदाता / सुविधादाता के रूप में इम्पैनलमेंट हेतु अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों/दस्तावेजो का विवरण-</u>

1. संस्था के पंजीयन से सम्बंधित अभिलेख (कम्पनी एक्ट-2013 सोसाइटी रजिट्रेशन एक्ट 1956 अथवा फर्म/संस्था के विधिमान्य से गणित किये जाने सम्बंधी अन्य पंजीयन प्रमाण पत्र) ।
2. आयकर पंजीयन संख्या ।
3. GST पंजीयन ।
4. FSSAI प्रमाणपत्र ।
5. विगत तीन वर्षों के अनुभव से सम्बंधित अनुभव/कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र ।
6. न्यूनतम औसत टर्नओवर की पुष्टि हेतु ऑडिटेड बैलेन्सशीट/CA द्वारा प्रमाण पत्र ।
7. विगत 3 वर्षों के जी एस टी रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति ।
8. विगत 3 वर्षों के आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति ।
9. फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, से सम्बंधित नॉन ब्लैक लिस्ट हेतु प्रमाणपत्र।
10. संस्था का पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में होने से सम्बंधित विधि मान्य साक्ष्य।

<u>प्रशिक्षक के रूप में इम्पैनलमेंट हेतु अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों/दस्तावेजो का विवरण-</u>

1. शैक्षिक योग्यता की पुष्टि हेतु प्रमाणित अभिलेख / दस्तावेज
2. तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता की पुष्टि हेतु प्रमाणित अभिलेख / दस्तावेज
3. सेक्टर स्किल कौंसिल द्वारा निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
4. अन्य योग्यता की पुष्टि हेतु प्रमाणित / स्व प्रमाणित अभिलेख / दस्तावेज
5. अनुभव की पुष्टि हेतु प्रमाणित / स्व प्रमाणित अभिलेख / दस्तावेज
6. आधार कार्ड की प्रति
7. पैन कार्ड की प्रति

UPHMC